

4597/13 - 14/11/13

17/09/13

## (भूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (5)(i) के अन्तर्गत)

1. आवेदक का नाम ..... राजीव दुष्टार खरे  
 2. पूरा पता / इ-मेल /फोन: (पर जानकारी प्रेषित ही जाना के लिए नहीं उपयोग करें (उद्देश्य)  
 निवास - अली नं०-३ प्रेमधिहार कालोनी प्रेमनगर रत्नना ५००४७  
 3. दूरध्वास नमंक नं०८८८०-०९८२७६३०८२३  
 4. आवेदन देने का दिनांक ..... 12/9/13  
 5. कार्यालय का नाम केरल लोकभूचना अधिकारी प्रबन्धनमिति कार्यालय साक्षात् कलाकु  
न्तिडिव्हिली ५००१०  
 6. चाही गयी जानकारी का विवरण ① राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राविकरण के आपदण्ड  
 के अनुसार निनिनिन राज्यों में आपदा राहत क्लॅग गाहते हैं तथा ग्राम्य में भी गाहते हैं। भृत्य में किसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए उपचार प्रावधान है।  
 ② राष्ट्रीय आपदा को रोकने हेतु क्षमा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रतिवधि कोई राशि दी जाती है यहाँ है वर्ष २०१२-१३, १३-१५ में जिसके द्वारा दी गई अपेक्षा राज्यों को प्रतिवधि कोई राज्यों को प्रतिवधि दी गई है।  
 7. क्या चाहते हैं नकल / निरीक्षण / रिकार्ड का दिलाप / रिकार्ड की प्राप्तिप्रति / प्रभागित नहुना ? जोनकारी पुढ़ाने को  
 8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीस ... रुपये १० / जगद / स्टाम्प (बी०पी०ए० सूची रादर्य को देय नहीं) रसीद अ०- एवं दिनांक पोस्टल आर्डर / उच्चतम क्र०- ०५८५३९८०५ दिन 12/9/13  
 9. क्या आवेदक यारी रेखा के नीचे है अथवा नहीं, हाँ / नहीं अग्री लो तो बी०पी०ए० सूची या अनुक्रमांक

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

टीप - यदि आवेदक हाथ डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर ५/- - रुपये रसायन चर्चा करते हुए नियर्स्टर्ड / बी०पी०ए० / डाक व्यापार समित रखणे का पता लिखा हुआ है लिपाफता संलग्न करें। (बी०पी०ए० सूची के रादर्यों को डाक व्यापार देय नहीं)

## पायरी

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक .....  
 2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के समर्थन में असिंग वर्गीकृत होने उपरिथत होने का दिनांक .....  
 3. सम्बद्धित शाखा / अधिकारी जहाँ से जानकारी सम्बन्ध होगी .....

11942

17/09/13

27/09/13

Ipo No. 05F 5398-04 रु १०/-

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
 (तोक भूचना अधिकारी / व्यापार  
 होक भूचना अधिकारी हाथ प्राप्तिकृत)  
 दिनांक - .....

78 20423

स्पीड पोस्ट द्वारा  
आर.टी.आई.मामला

संख्या.40-12/2013-एन.डी.एम

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन  
जय सिंह रोड, नई दिल्ली  
दिनांक 29 अक्टूबर, 2013

सेवा में,

श्री राजीव कुमार खेरे,  
गली नं.3 प्रेमबिहार कालोनी,  
प्रेमनगर, सतना,  
मध्यप्रदेश-485001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 28.10.13 को प्राप्त अपने दिनांक 12.09.13 के आर.टी.आई. आवेदन का अवलोकन करें जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस अनुभाग को हस्तांतरित किया गया है जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाएं मार्गी गई हैं।

2. आपके आर.टी.आई. पत्र के बिन्दु संख्या 2 के सन्दर्भ में यह कहना है कि इस प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा को रोकने एवं कम करने के लिए कोई भी राशी नहीं दी जाती है। आपदा के रोकथाम एवं कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य प्लान विधि से ऐसे व्यय के वहन हेतु उपाय किये जाने चाहिए। अतः इस संबंध में सूचना शून्य समझी जायें।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,  
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,  
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.-।। भवन,  
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

जी धोष

(गौतम धोष,  
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी.एम.)  
टेलीफोन-23438123

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु:-

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (श्री जे.सी.बाबू, अवर सचिव), एन.डी.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग इन्क्लोज, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या एन.डी.ए. /आर.आर/आर.टी.आई./05/2013/एफटीएस-4956-846 दिनांक 22.10.13)।